कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 16.08.2019

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य

थाना दादरी

दिनांक 15.8.2019 को थाना दादरी पुलिस द्वारा सैफाली स्कूल के पास पुलिस मुठभेड के दौरान स्कूटी व मोटर साईकिल सवार 2 अभियुक्त 1.राजीव शर्मा पुत्र मुनु दत्त शर्मा नि0 रोनी ककोड बुलन्दशह 2. राहुल कश्यप पुत्र राज कुमार नि0 चन्डोक थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त राजीव शर्मा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक खोखा कार0 व दो जिन्दा कार0 व 5000– रूपये लूट के व अभियुक्त राहुल कश्यप पुत्र राज कुमार कश्यप नि0 चंदोस थाना जहाँगीराबाद बु0शहर के कब्जे से एक मोबाईल व लूट के 4000 रूपये व लूट का एक मोबाईल व स्कूटी मैस्ट्रो बरामद की गयी है । मुठभेड के दौरान उपरोक्त अभियुक्तगण के अन्य साथी 1. लोकेश उर्फ रोकी पुत्र राकेश शर्मा नि0 ग्राम चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर 2. गौरव पुत्र यशवीर नि0 पचगंई थाना खुर्जा देहात बु0शहर मौके का लाभ उठाकर भाग गये थे । जिनको दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 16.8.2019 को बिहासडा पुल के नीचे से मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अन्धा धून्ध फायर किये गये । आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने पर अभियुक्त लोकेश उर्फ रोकी व गौरव घायल हो गये । जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया । अभियुक्त गौरव उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एक अदद कार0 जिन्दा व 3 अदद खोखा कार0 व अभियुक्त लोकेश के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर मय एक जिन्दा कार0 व दो खोखा कार0 व दोनो अभियुक्तगण के कब्जे से एक मो0सा0 टीवीएस स्पोर्ट मो0सा0 व 5000/–5000/– रूपये लूट के बरामद किये गये है । उपरोक्त चारो अभियुक्तगण पर पूर्व में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा 25000– 25000 हजार रूपये का इनाम घोषित था ।

अपराध का संक्षिप्त विवरण –
दिनांक 12.4.2019 को माधव फार्म हाउस के पास से एक व्यक्ति के गोली मारकर एक बैग लूट लिया था जिसमें लैपटाप व अन्य सामान था । लैपटाप अभियुक्तगण द्वारा राह चलते को बेच दिया था तथा दिनांक 11.8.2019 को दादरी क्षेत्र में स्थित कोब शोरूम से एक मोबाईल, एक पर्सा जिसमें 4000 रूपये व एटीएम, आधार कार्ड व पैन कार्ड थे व 15000/– रूपये नकद लूट लिये गये थे । अभियुक्तगण शातिर अपराधी है । जिनके विरूद्ध कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –
1. राजीव शर्मा पुत्र मुनु दत्त शर्मा नि0 रोनी ककोड बुलन्दशहर
2. राहुल कश्यप पुत्र राज कुमार नि0 चन्डोक थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर
3. गौरव पुत्र यशवीर नि0 पंचगई थाना खुर्जा देहात बु0शहर
4. लोकेश उर्फ रोकी पुत्र राकेश शर्मा नि0 चीती थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –
1.मु0अ0सं0 407/19 धारा 394/394/307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगरर
2.मु0अ0सं0 876/19 धारा 397/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।
3.मु0अ0सं0 888/19 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना ददारी गौतमबुद्धनगर ।
4.मु0अ0सं0 887/19 धारा 307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
5.मु0अ0सं0 890/19 धारा 307 भादवि थाना ददारी गौतमबुद्धनगर ।
6.मु0अ0सं0 891/19 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
7.मु0अ0सं0 892/19 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी –
अभियुक्त गौरव के कब्जे से 5000 रूपये व एक तमंचा 315 बोर व एक अदद कार0 जिन्दा व 3 खोखा कार0 315 बोर
अभियुक्त लोकेश उर्फ रोकी उपरोक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर मय एक जिन्दा कार0 व दो खोखा कार0 व 5000 रूपये दोनो अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद मोटर साईकिल ज्टै ैच्व्ज्ै बिना नम्बर
अभियुक्त राजीव शर्मा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक खोखा कार0 व दो जिन्दा कार0 व 5000/– रूपये लूट के व अभियुक्त राहुल कश्यम उपरोक्त के कब्जे से एक मोबाईल व लूट के 4000 रूपये व दोनो अभियुक्तगण के कब्जे से स्कूटी मैस्ट्रो बरामद की गयी है।

थाना सैक्टर 49

दिनॉक 15.8.2019 को थाना सैक्टर–49 पुलिस एवं स्टार–1 टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर सै0–51 मैट्रो स्टेशन के पास से दो अभियुक्तों को मय एक अदद तंमचा देशी 315 बोर मय 2 अदद कारतूस जिन्दा एवं कार सैंट्रो सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका

अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ पर नोएडा में विगत 6 माह में दिन के समय सैक्टरों एवं फलैटों में ताला तोडकर चोरी की करीब 40 अधिक घटनाओं का किया जाना स्वीकार किया है। अभियुक्त कपिल जाटव पुत्र भरतवीर निवासी खालिदपुर थाना मवाना जनपद मेरठ ने पूछताछ पर बताया कि हमारा चार व्यक्तियों (साजिद पुत्र साबिर, बिलाल पुत्र मौ0 इस्लाम एवं सलीम मस्ताना) का एक संगठित गैंग हैं, गिरोह का लीडर बिलाल है। बिलाल और कपिल दिसम्बर 2018 में हरिद्वार जेल से जमानत पर रिहा हुए है। पिछले 6 माह से हम चारों लोग नियमित रूप से नोएडा आकर फलैटों में चोरी की घटना कारित कर रहे हैं। हमने सारी घटनाऐं दिन में ही की हैं। हम लोग सैट्रों कार नं0 डीएल 4 सीएजी 1888 से मवाना से निकलते थे। रास्ते में गाजियाबाद के आस पास सलीम मस्ताना मिलता था। फिर हम सभी अपने अपने मोबाइल बन्द कर देते थे। सारी घटनाऐं मैने और बिलाल ने की थीं। साजिद और सलीम गाडी के आस पास रहते थे तथा सोसायटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते थे। घटना मौके पर रैकी करके तुरन्त करते थे, पहले से कोई योजना नहीं होती थी। जिन फलेटों में ताले लगे होते थे, उनका ताला तोडकर चोरी कर लेते थे। 20–25 मिनट में हम लोग पूरी घटना करके निकल जाते थे। हम लोग केवल आभूषण, कैश व छोटे सामान जैसे घडी, कैमरा आदि ही ले जाते थे क्योंकि इन्हें आसानी से बैग में रखकर निकल जाते थे। हम पहली बार फरवरी में आये थे। मार्च में हम 4–5 बार आये थे। मार्च में हमनें सैक्टर–50, 53 आदि में चोरी की थी। अप्रैल में हम हर दूसरे दिन आये थे। इस दौरान हमने सैक्टर–34, सै0–110, सै0–50, 53, 75, 51, 76 आदि सैक्टरों में चोरी की घटनाऐं कारित की थीं। माह मई में हम 7–8 बार आये थे। इस दौरान भी हमने नोएडा के सैक्टर–61, 50, 34, आदि में चोरी की घटनाऐं की थीं। माह जून में 1–2 बार ही आये थें। माह जुलाई में हमने सै0–62 पुलिस चौकी के पास स्टेलर सोसायटी में चोरी की थी। इसके दो दिन बाद एक ही दिन में हमने बीपीसीएल सोसायटी सै–56, सै0–35 में सिटी व्यू अपार्टमैन्ट,

सै0–41 सोसायटी में चोरी की घटनाऐं की थी। इसके बाद मैं कांवड लेने चला गया था। 5 अगस्त को हम नोएडा आये थे । उस दिन हमने सैक्टर–82, सैक्टर–37 में चोरी की घटनाऐं की थीं। 9 अगस्त को हम लोग फिर आये थे। उस दिन हमने सैक्टर–53 कंचन जंगा सोसायटी में पहले चोरी की थी। फिर उसी दिन हम सै0–50 में भी चोरी की घटना कारित की गयी थी। हम हर महीने चोरी के आभूषण मवाना मेरठ के पवन पुत्र मामचन्द निवासी मौ0 हीरालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ सुनार को देते थे जो तुरन्त आभूषणों को गला देता था तथा मौजूद सोने के आधार पर हमें भुगतान कर देता था।माल देने बिलाल ही जाता है। मई में उसे सामान दिया गया था जिसके पैसे हम लोगों ने आपस में बॉट लिए थे। इसके बाद मैं ओर बिलाल 9 अगस्त की रात गये थे। उस दिन हमने उसे जुलाई और अगस्त में चोरी किए आभूषण दिये थे। हम लोगों को लगभग 4 लाख रूपये मिले थे। जिसमें मेरे हिस्से में 75 हजार रूपये आये थे। कुछ खर्च हो गये हैं। 40 हजार मैने अपनी बुआ मोनी को बुलट मो0सा0 की किस्त का भुगतान करने को दिये थें। कुछ पैसे आपने मेरे तलाशी में बरामद किये हैं। कुछ पैसे घर पर पडे होगें। बुलट मो0सा0 मैने लगभग 4–5 माह पूर्व अपनी बुआ मोनी के नाम से बुक कराया था। किस्त का भुगतान मैं चोरी के पैसों से ही कर रहा हूँ। चोरी के पैसो से ही मैने अपनी बहन की शादी के लिए ज्वैलरी खरीदी थी। सैट्रों कार नं0 डीएल 4 सीएजी 1888 मैने और साजिद ने साझे में खरीदी हैं। उसका भी भुगतान हमने चोरी में मिलने वाले हिस्से से किया है। इसी सैट्रों कार नं0 डीएल 4 सीएजी 1888 से ही हम चोरी करने आते थे। चोरी के मालआपको गाडी मिली पैन्ट शर्ट भी हमने चोरी की है। इन पैन्ट शर्टो को पहनकर सोसायटी में जाने पर सिक्योरटी गार्ड सामान्यतः शक नहीं करते हैं और हमें चोरी करने में आसानी हो जाती है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1–तीन अदद चैन पीली धातु,
2–एक अदद चैन मय लॉकेट पीली धातु,
3– 09 अदद ॲगूठी पीली धातु,
4–चार जोडी टॉपस कान के पीली धातु
5– 41,500 रूपये नगद
6–एक तंमचा देशी 315 मय 2 कारतूस जिन्दा
7– सैंट्रो कार नं0 डीएल 4 सीएजी 1888
8– 5 जोडी पैन्ट शर्ट

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते</u>

1–कपिल जाटव पुत्र भरतवीर निवासी खालिदपुर थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र–31 वर्ष
2–साजिद पुत्र साबिर निवासी मौ0 हीरालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र–30 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1– मु0अ0सं0 311/19 धारा 454/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
2– मु0अ0सं0 324/19 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
3– मु0अ0सं0 509/19 धारा 454/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
4– मु0अ0सं0 688/19 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
5– मु0अ0सं0 687/19 धारा 380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
6– मु0अ0सं0 921/19 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
7– मु0अ0सं0 940/19 धारा 414/411 भादवि0 थाना सैक्टर–49 नोएडा।
8– मु0अ0सं0 941/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर–49 नोएडा।
9– मु0अ0सं0 535/19 धारा 380/411 भादवि0 थाना फेस–2 नोएडा।
10– मु0अ0सं0 237/19 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना सैक्टर–58 नोएडा।

11–मु0अ0सं0 184 / 19 धारा 457 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–58 नोएडा।
12–मु0अ0सं0 364 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–58 नोएडा।
13–मु0अ0सं0 357 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–58 नोएडा।
14–मु0अ0सं0 913 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–24 नोएडा।
15–मु0अ0सं0 249 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैकटर–24 नोएडा।
16–मु0अ0सं0 703 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–24 नोएडा।
17–मु0अ0सं0 528 / 19 धारा 454 / 380 / 411 भादवि0 थाना सैक्टर–20 नोएडा।